



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265889
CG-DL-E-02092025-265889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3903]
No. 3903]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4008(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात “आयकर अधिनियम” के रूप में संदर्भित है) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा “लखनऊ विकास प्राधिकरण” (पैन AAALL0016F) (इसमें इसके पश्चात “निर्धारिती” के रूप में संदर्भित है) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) द्वारा गठित प्राधिकरण बना रहेगा।

[अधिसूचना सं. 142 /2025/फा. सं. 300195/16/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।